Government of Rajasthan
Gyan Sankalp

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाष नं. 0141–2709846 E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

उत्सव (Utsav in School)
VIDEO LINK

क्रमांक : रास्कूलशिप / जय / सीएसआर / प्लॉन 2023–24 / 3699 दिनांक : 1/8/2023

राजकीय विद्यालयों के पूर्व छात्र–छात्रा और दानदाता सम्मेलन 2023–24 आयोजन हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना–

राजस्थान में दान देने की प्रथा काफी पुरानी है। राजस्थानियों ने राजस्थान के बाहर बसने के बाद भी यहा के विद्यालयों को तन–मन–धन से सहयोग कर शिक्षा की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान किया है। बहुत से भामाशाहों ने विद्यालय भवन तक का निर्माण कर राज्य सरकार को समर्पित किया है। यह कार्य अभी भी अनवरत जारी है।

स्कूल शिक्षा विभाग ने राजकीय विद्यालयों और दानदाताओं को एक साथ लाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ कंपनियों, ट्रस्टों और व्यक्तियों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्ञान संकल्प पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल का लक्ष्य दानदाताओं / कम्पनियों को विकल्प उपलब्ध करवाकर दान की प्रक्रिया को आसान बनाना है।

राजस्थान के राजकीय विद्यालयों से अध्ययनरत रहे अनेकों पूर्व छात्र–छात्राओं ने विश्व / भारत में अपने–अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इन पूर्व छात्र–छात्राओं को अपने विद्यालयों से जोडने, राजकीय विद्यालयों की प्रगति एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए किये जा रहे नवाचारों को आमजन तक पहुंचा कर राजकीय विद्यालय के विकास में सहभागी बनाने के उद्देश्य से **पूर्व विद्यार्थी और व्यक्तिगत भामाशाहों सहित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अन्तर्गत कार्य करने वाली औद्योगिक संस्थानों एवं एनजीओ को विद्यालयों के समग्र विकास में सहभागी बनाने हेतु सम्मेलन आयोजन** की परिकल्पना की गई है। यह सम्मेलन राजकीय विद्यालयों के पूर्व छात्र–छात्राओं, भामाशाहों, सीएसआर के अन्तर्गत कार्य करने वाली संस्थाओं को विद्यालय विकास में सहभागी बनने के लिए एक मंच प्रदान करेगा जिससे राजकीय विद्यालयों में संस्था प्रधान उनके समक्ष विद्यालयों की उपलब्धि एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके व आमजन से सहयोग प्राप्त कर संसाधनों की पूर्ति कर सकें तथा विद्यालय में अध्ययरत छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर सकें।

2. सम्मेलन हेतु स्वीकृत बजट–

- राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पूर्व छात्र–छात्राओं और दानदाता सम्मेलन आयोजन हेतु समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2023–24 में नवाचार (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) मद के अन्तर्गत 15539 विद्यालय (यू–डाईस 2021–22 के आधार पर शून्य नामांकन को छोडकर) के लिए रूपये 2000/– (अक्षरे–दो हजार रूपये मात्र) प्रति विद्यालय की दर से 310.78 लाख रूपये का बजट स्वीकृत किया गया है। जिले वार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सख्या व अधिकतम आवंटित राशि का विवरण अनुसूची–1 में संलग्न है।
- राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्कूल शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग, जनजातिय कल्याण विभाग व समाज कल्याण विभाग के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय शामिल किये गये है। विभागवार जिले वार विवरण अनुसूची–2 में संलग्न है।

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.31 16:49:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3962101

- उक्त आयोजन हेतु परिषद स्तर से उपलब्ध करवाई गई उक्त राशि के अतिरिक्त जनसहयोग, भामाशाहों, दानदाताओं एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाये जाने का प्रयास किया जावें।

3. **पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन के सफल आयोजन एवं राशि के व्यय हेतु दिशा–निर्देश**

❖ **आयोजन स्थल, आयोजन दिवस एवं भाग लेने वाले विद्यालय।**

विद्यालयों में पूर्व छात्र–छात्रा एवं दानदाता सम्मेलन समग्र शिक्षा के अन्तर्गत **आयोज्य वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के दिन, वार्षिकोत्सव कार्यकम से पूर्व आयोजित किये जाऐगे।**

❖ **जिला, ब्लॉक व आयोजन विद्यालय स्तर समिति का गठन व कार्य –**

- पूर्व छात्र–छात्रा एवं दानदाता सम्मेलन हेतु राज्य स्कूल शिक्षा परिषद् द्वारा **वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2023–24** के आयोजन के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश क्रमांक रास्कूलशिप / जय / आदर्श–उत्कृष्ट विद्यालय / वार्षिकोत्सव / 2023–24 / 1954 दिनांक 16–06–2023 द्वारा निर्धारित जिला, ब्लॉक व संकुल स्तरीय आयोजन समिति ही पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन हेतु भी जिला, ब्लॉक, संकुल स्तरीय एवं विद्यालय आयोजन समिति के रूप में कार्य करेगी तथा पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन सफल आयोजन हेतु समस्त उत्तरदायित्व निभायेगी। उक्त आदेशों में पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन के क्रम में वर्णित समस्त दिशा–निर्देश लागू होगें।
- विद्यालय स्तर पर पूर्व छात्र–छात्रा एवं संभावित दानदाता सम्मेलन आयोजन हेतु जो समिति वार्षिकोत्सव कार्यकम आयोजित करने हेतु बनाई गई है, वो ही आयोजन के सम्पूर्ण दायित्व का निर्वहन करेगी।
- यदि किसी विद्यालय जिसमें पूर्व छात्र–छात्रा एवं दानदाता सम्मेलन आयोजित किया जाना है परन्तु वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित नहीं किये जाऐगें वहाँ पर भी वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2023–24 हेतु जारी उपरोक्त दिशा–निर्देशानुसार समिति का गठन कर पूर्व छात्र–छात्रा एवं दानदाता सम्मेलन आयोजित किये जाऐंगे।

❖ **जिला समिति के कार्य–**

- सत्र 2023–24 में पूर्व छात्र–छात्रा व दानदाता सम्मेलन को उभयनिष्ठ रूप से वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2023–24 के साथ उसी दिन आयोजित किया जावेगा। इस हेतु दोनों समारोह को अलग–अलग मानते हुए समेकित कार्ययोजना निर्माण कर एक ही दिवस में आयोजित किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस ब्लॉक / संकुल कार्यालय व संबंधित संस्था प्रधानों को निर्देशित कर अनुपालना सुनिश्चित करायेगे।
- समारोह के आयोजन हेतु जिला स्तर पर निर्मित विस्तृत कार्ययोजना को समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के साथ साझा करेंगें।
- समारोह आयोजन हेतु निर्धारित राशि परिषद स्तर से जिले को एसएनए के अन्तर्गत प्रेषित की जावेगी और जिला स्तर से निर्धारित समय में सम्बन्धित आयोजक विद्यालय को उपयोग हेतु जीरो बैलेन्स सब्सिडरी खातें में उपलब्ध करवाई जाना सुनिश्चित करेगे।

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.31 16:49:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3962101

- कार्ययोजना निर्माण करते समय अधिकाधिक जनसहभागिता को प्रमुखता प्रदान करेंगे।
- समारोह में राज्य स्तर, जिला स्तर व ब्लॉक स्तर के जन प्रतिनिधियों, भामाशाहों, दानदाताओं, कम्पनी के प्रबन्धक / सीएसआर हैड को आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
- राज्य स्तर से समारोह हेतु जारी राशि के अतिरिक्त राशि एकत्रीकरण हेतु जिला / ब्लॉक के सीएसआर फर्म, भामाशाह, उधोगपति, दानदाता, जनप्रतिनिधि, विद्यालयों के सफल पूर्व छात्र–छात्राओं एवं ऐसे संभावित व्यक्तित्व जो कार्यक्रम के आयोजन हेतु राशि उपलब्ध करा सकते हैं, की सूची मुख्य ब्लॉक जिला शिक्षा अधिकारी / आयोजक विद्यालय के साथ साझा की जावे।
- समारोह में संस्था प्रबन्धन एवं विद्यार्थियों को सम्बलन प्रदान करने हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को नियुक्त किया जावे। प्रयास रहे कि अधिकतम समारोहों में कोई प्रतिनिधि आवश्यक रूप से उपस्थित रह सके। इस हेतु संयुक्त निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्राशि एवं माशि), प्रधानाचार्य–डाइट, एडीपीसी कार्यालय के समस्त अधिकारियों को शामिल किया जावे।
- जिला स्तरीय कमेटी वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ–साथ पूर्व छात्र–छात्रा एवं दानदाता सम्मेलन आयोजन के समस्त उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करेगी।
- समारोह से पूर्व जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की बैठक आयोजित की जावेगी, जिसमें कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समस्त दिशा–निर्देश प्रदान किये जावेंगे।
- जिला कार्यालय अपने जिले में आयोजित पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2023–24 आयोजन की समेकित रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण–पत्र व छाया चित्र जिले में अंतिम समारोह के आयोजन के उपरान्त 05 दिवस में राज्य कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।
- जिला कार्यालय व्यय राशि की प्रविष्टि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा संचालित प्रबन्ध पोर्टल पर अनिवार्यतः अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

❖ ब्लॉक समिति के कार्य–

- वर्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हेतु गठित उक्त ब्लॉक स्तरीय कमेटी वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ–साथ सीएसआर अनुभाग द्वारा पूर्व छात्र–छात्रा एवं दानदाता सम्मेलन आयोजन के समस्त उत्तरदायित्व का भी निर्वहन करेगी।
- ब्लॉक स्तरीय कमेटी अपने अधीनस्थ क्षेत्र के विद्यालयों में आयोजित पूर्व छात्र एवं दानदाता सम्मेलन एवं वर्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन को एक दिन आयोजित करने हेतु समेकित कार्ययोजना निर्माण करने एवं कार्य रूप में परिणित करने के लिये उत्तरदायी होगी।
- आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह हेतु ब्लॉक स्तर पर निर्मित विस्तृत कार्ययोजना को समस्त शहरी क्षेत्र के आयोजक विद्यालय एवं समस्त पीईईओ के साथ साझा करेंगें।
- कार्ययोजना निर्माण करते समय अधिकाधिक जनसहभागिता को प्रमुखता प्रदान करेंगे।

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.31 16:49:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3962101

- समारोह में राज्य स्तर, जिला स्तर व ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों, भामाशाहों, दानदाताओं, कम्पनी के प्रबन्धक / सीएसआर हैड को आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
- राज्य स्तर से समारोह हेतु जारी राशि के अतिरिक्त राशि संग्रहण हेतु जिला / ब्लॉक के सोएसआर फर्म, भामाशाह, उधोगपति, दानदाता, जनप्रतिनिधि, विद्यालयों के सफल पूर्व छात्र एवं ऐसे संभावित व्यक्तित्व जो कार्यक्रम के आयोजन हेतु राशि उपलब्ध करा सकते हैं, की सूची आयोजन विद्यालय संस्था प्रधान / संकुल अधिकारी के साथ साझा की जावे।
- समारोह में सम्बलन प्रदान करने हेतु ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की सूची तैयार की जावे। विद्यालयों में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ – साथ ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी सम्बलन हेतु उपस्थित हों, यह सुनिश्चित किया जावें।
- राज्य स्तर, जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, भामाशाहों, दानदाताओं को चिन्हित कर विद्यालयों में आमंत्रित करने हेतु सम्पर्क कर उसकी सूची पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करावें, जिससे पीईईओ उनसे समन्वय कर उनको कार्यक्रम हेतु आमंत्रित कर सके।
- समारोह से पूर्व ब्लॉक स्तर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, कलस्टर संकुल प्रभारी, विद्यालय संस्था प्रधान की बैठक आयोजित की जावेगी, जिसमें कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु समस्त दिशा–निर्देश प्रदान किये जावें।
- ब्लॉक में कलस्टर संकुल स्तरीय आयोजन समिति के गठन की सूचना सहित आयोजन हेतु अलग–अलग दिवस निर्धारित कर आयोजन की दिनांकवार सूची निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से जिला कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- ब्लॉक स्तरीय आयोजन समिति ब्लॉक में आयोजित पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2023–24 आयोजन की समेकित रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण–पत्र व छाया चित्र, ब्लॉक में आयोजित अंतिम समारोह के आयोजन 7 दिवस में जिला कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

❖ कलस्टर (सीआरसी) स्तरीय समिति के कार्य–

- पूर्व उल्लेखित वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह के आदेशों अनुसार कलस्टर आयोजन समिति वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह के साथ–साथ पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2023–24 आयोजन हेतु राज्य / जिला / ब्लॉक स्तर प्राप्त समस्त निर्देशों की अनुपालना करते हुए समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेगी।
- समारोह के आयोजन व स्थान का चयन वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह 2023–24 हेतु जारी आदेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जावें।
- पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2023–24 आयोजित किये जाने हेतु आवश्यक तैयारियॉं समय पूर्व वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजन तैयारियों के साथ–साथ सम्पन्न कर ली जावें।
- उक्त आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई उक्त राशि के अतिरिक्त संस्था प्रधान एवं स्टाफ जनसहयोग, भामाशाहों, दानदाताओं एवं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सहयोग प्राप्त कर कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं।

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.31 16:49:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3962101

- पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2023–24 हेतु विस्तृत कार्ययोजना का निर्माण कर सम्बन्धित संस्था प्रधान को मार्गदर्शन प्रदान कर कार्य रूप में परिणित करवायेगे।
- समारोह में राज्य स्तर, जिला स्तर व ब्लॉक स्तर के जन प्रतिनिधियों, भामाशाहों, दानदाताओं, कम्पनी के प्रबन्धक / सीएसआर हैड को आमंत्रित किया जाना सुनिश्चित करेंगें।
- समारोह में राज्य सरकार के कोविड दिशा–निर्देश की अक्षरशः पालना करते हुए आयोजित किया जाना सुनिश्चित करवायेंगे।
- पंचायत एवं सीआरसी स्तरीय समिति आयोजित पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन के 02–05 छवि चित्र (फोटोग्राफ), आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह के भेजे जाने वाले छाया चित्रों के साथ–साथ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगे।

❖ **विद्यालय स्तरीय समिति के कार्य–**

- पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन 2023–24 के सफलतापूर्वक आयोजन हेतु समस्त व्यवस्थाओं का समस्त उत्तरदायित्व संबंधित सीबीईओ / पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आयोजक विद्यालय संस्था प्रधान का रहेगा।
- उक्त समारोह के स्थानीय आयोजन की तिथि निर्धारण से पूर्व यथासंभव स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विचार–विमर्श किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि अधिकाधिक भागीदारी हो सकें।
- पूर्व विद्यार्थी व दानदाता सम्मेलन में अधिकाधिक जनसहभागिता हेतु प्रयास किये जावें। इस हेतु विद्यालय संस्था प्रधान / पीईईओ विद्यालय स्टाफ के सहयोग से विद्यालय के समस्त परिक्षेत्र में जनसंपर्क स्थापित करें।
- विद्यालय स्तर पर एसडीएमसी / एसएमसी की बैठक के दौरान उक्त समारोह के सफल आयोजन हेतु विस्तृत कार्य योजना तय कर समस्त सदस्यों में कार्य आवंटन किया जावे।
- समारोह में विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले बच्चों के अतिरिक्त समस्त विद्यार्थी विद्यालय गणवेश में उपस्थित रहेंगे।
- समारोह हेतु उपलब्ध करवाई गई एवं जुटाई गई राशि का उपयोग, समारोह के सफल आयोजन हेतु आवश्यक संसाधन जैसे – मुद्रण कार्य मंच साज–सज्जा, टैन्ट व्यवस्था, साउण्ड सिस्टम, वीडियो / फोटोग्राफी, बैठक व्यवस्था, जलपान तथा स्मृति चिन्ह इत्यादि हेतु किया जावे।
- समारोह का प्रारम्भ अनिवार्यतः राष्ट्रगान के साथ एवं समापन राष्ट्रगीत के साथ किया जावे।
- कार्यक्रम का आयोजन गरिमामय रहे, इस बात का पूर्णतया ध्यान रखा जावे।
- विद्यालय के सफल पूर्व छात्र–छात्राओं सहित समस्त विद्यार्थियों के अभिभावकों को समारोह में भाग लिये जाने हेतु आमंत्रित किया जावे एवं इस संबंध में विद्यार्थियों को भी उनके अभिभावकों को प्रेरित करने हेतु मार्गदर्शन दिया जावे।

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.31 16:49:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3962101

Government of Rajasthan
Gyan Sankalp

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2709846 E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप / जय / सीएसआर / प्लॉन 2023–24 / 3699 दिनांक : 1/8/23

- समारोह में जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, भामाशाह, दानदाता, कम्पनी के प्रबन्धक / सीएसआर हैड, एसडीएमसी / एसएमसी के सदस्य, विद्यालय के सफल पूर्व छात्र–छात्रा / सफल उद्यमी / व्यवसायी एवं समस्त अभिभावक को अनिवार्यतः आमंत्रित किया जावे, जिनके साझा किये गये अनुभवों से बच्चे प्रोत्साहन प्राप्त कर सकें तथा सभी का अभिलेख संधारित किया जावें तथा शाला दर्पण पोर्टल पर पूर्व विद्यार्थी सूचना प्रपत्र में अंकित करवाना सुनिश्चित करें जिससे कि राज्य व जिला स्तर पर यथा समय उपयोग किया जा सकें।

- समारोह में विद्यालय के अधिकाधिक भामाशाह, दानदाता, नजदीकी या क्षेत्र में कार्य करने वाली औद्योगिक ईकाईयां / कम्पनी / एनजीओ की शत–प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।

- पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन कार्यक्रम हेतु मंच पर ज्ञान संकल्प पोर्टल के प्रचार–प्रसार हेतु सामग्री भी प्रदर्शित की जावें।

- समारोह में सम्मानित अतिथि, जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी, भामाशाह, दानदाता, कम्पनी के प्रबन्धक / सीएसआर प्रमुख, एसडीएमसी / एसएमसी के सदस्य, विद्यालय के सफल पूर्व छात्र एवं समस्त अभिभावक को विद्यालय विकास में सहयोग हेतु प्रेरित किया जावे। इस हेतु ज्ञान संकल्प पोर्टल के बारे में संक्षिप्त जानकारी देकर विद्यालय विकास में इसके महत्व का प्रचार–प्रसार किया जावें।

- पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन में आयोजक विद्यालय के संस्था प्रधान अपने क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की ढांचागत आवश्यकताओं का आंकलन कर सूचीबद्ध कर आयोजन के दौरान उपस्थित समुदाय के समक्ष आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें जिससे उपस्थित दानदाता, भामाशाह, कम्पनियों के प्रतिनिधि विद्यालयों के विकास में अपना सहयोग देने के लिए प्रेरित हो सकें।

- उक्त समारोह के आयोजन हेतु विद्यालय को आवंटित राशि का उपयोग अनिवार्यतः संबंधित एसडीएमसी / एसएमसी के माध्यम से समग्र शिक्षा के नियमानुसार ही किया जायेगा। पूर्व विद्यार्थी एवं दानदाता सम्मेलन हेतु उपलब्ध राशि के रिकॉर्ड का संधारण वार्षिकोत्सव व पुरस्कार वितरण समारोह से अलग मद रखते हुए किया जाएगा।

- विद्यालय में आयोजित समारोह की रिपोर्ट आयोजन के अगले दिवस अपने कलस्टर संदर्भ प्रभारी के माध्यम से 02–05 छवि चित्र (फोटोग्राफ) सहित ब्लॉक कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

- राज्य, जिला, ब्लॉक व सीआरसी कार्यालय से प्राप्त निर्देश की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए आयोजन की निर्धारित सूचना की समस्त प्रविष्टियॉं आयोजन समाप्ति के पश्चात् अगले दिवस तक शाला दर्पण पोर्टल पर केवल आयोजक विद्यालय द्वारा उनके विद्यालय लॉगिन पर विद्यालय टैब उपलब्ध मॉड्यूल पर ऑनलाईन प्रविष्टि की जावें। गैर आयोजक विद्यालय द्वारा उक्त सूचना नहीं भरी जानी है ताकि आयोजन की प्रामाणिक व सुसंगत सूचना ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर को प्राप्त हो सकें।

❖ **अन्य निर्देश–**

- आयोजक विद्यालय कार्यक्रम आयोजन के 02 दिवस में उपयोगिता प्रमाण–पत्र सीआरसीएफ के माध्यम से जिला परियोजना कार्यालय जिला स्तर को प्रस्तुत किया जावें।

Signature valid

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.31 16:49:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3962101

Government of Rajasthan
Gyan Sankalp

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाष नं. 0141–2709846 E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप / जय / सीएसआर / प्लॉन 2023–24 / 3699 दिनांक : 1/8/23

- आंवटित राशि में से यदि कोई बचत राशि हो तो शेष राशि का संधारण / लौटाने की प्रक्रिया एसएनए व जिला / ब्लॉक / विद्यालय के जीरो बैलेंस सब्सिडरी खाते के सम्बन्ध जारी दिशा–निर्देशों की अनुपालना करते हुए की जावें।
- उक्त समारोह के आयोजन संबंधी समस्त गतिविधियों का सम्पादन कोविड महामारी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के निर्देशों की अनुपालना अनिवार्यतः पूर्ण करते हुए किया जाना है।
- जिस मद में राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में किया जावे।
- राशि उपयोग योजना के देशा–निर्देश, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार गाईड लाइन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये निहित प्रकिया अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावें।
- कार्यकम आयोजन के 7 दिवस में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र सीबीईओ के माध्यम से सीडीईओ कार्यालय जिला स्तर को जीएफ एण्ड एआर के अनुसार निर्धारित प्रपत्र प्रस्तुत किया जावे। जिला स्तर से समेकित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जी.एफ. एण्ड ए.आर. के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में राज्य कार्यालय को प्रेषित किया जावेगा।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

(डॉ. टी. शुभमंगला)
आयुक्त एवं राज्य परियोजना निदेशक,

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजातीय कल्याण विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त रास्कूलशिप, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक संस्कृत शिक्षा (स्कूल शिक्षा) विभाग, राजस्थान।
5. निजी सचिव, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर।
7. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम एवं द्वितीय, रास्कूलशिप, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, समस्त संभाग।
9. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि एवं माशि, मुख्यालय, समस्त जिले।
11. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. प्रोग्रामर, रा.स्कू.शि.प. जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
13. सीबीईओ एवं पदेन बीआरसीएफ, समस्त।
14. पीईईओ / यूसीईईओ / सीआरसीएफ समस्त।
15. संबंधित संस्था प्रधान।
16. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. अनिल कुमार)
अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम

दिशा–निर्देश विडियो लिंक : https://youtu.be/y9wbjWI0w34

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.31 16:49:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3962101

Government of Rajasthan
Gyan Sankalp

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाष नं. 0141–2709846 E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप / जय / सीएसआर / प्लॉन 2023–24 / 3699 दिनांक : 1/8/23

अनुसूची–1

Ex-students & Potential Donors Meet for Government School 2023-24

District wise No. of School and Amount (@ 2000/- per school)

S.No.	District	No. of Block	No. of Sec./ Sr. Sec. Sch. *	Amount of Sch. @ 2000/- per school	Total Amount (In Lacs)
1	AJMER	12	534	1068000	10.680
2	ALWAR	16	805	1610000	16.100
3	BANSWARA	11	462	924000	9.240
4	BARAN	8	312	624000	6.240
5	BARMER	21	728	1456000	14.560
6	BHARATPUR	12	560	1120000	11.200
7	BHILWARA	14	581	1162000	11.620
8	BIKANER	9	455	910000	9.100
9	BUNDI	5	281	562000	5.620
10	CHITTAURGARH	11	413	826000	8.260
11	CHURU	7	519	1038000	10.380
12	DAUSA	11	389	778000	7.780
13	DHAULPUR	6	291	582000	5.820
14	DUNGARPUR	10	406	812000	8.120
15	GANGANAGAR	9	490	980000	9.800
16	HANUMANGARH	7	369	738000	7.380
17	JAIPUR	26	995	1990000	19.900
18	JAISALMER	7	198	396000	3.960
19	JALOR	10	398	796000	7.960
20	JHALAWAR	8	330	660000	6.600
21	JHUNJHUNU	11	540	1080000	10.800
22	JODHPUR	22	737	1474000	14.740
23	KARAULI	8	327	654000	6.540
24	KOTA	6	323	646000	6.460
25	NAGAUR	15	768	1536000	15.360
26	PALI	10	505	1010000	10.100
27	PRATAPGARH (RAJ.)	8	214	428000	4.280
28	RAJSAMAND	8	310	620000	6.200
29	SAWAI MADHOPUR	7	314	628000	6.280
30	SIKAR	12	647	1294000	12.940
31	SIROHI	5	240	480000	4.800
32	TONK	7	344	688000	6.880
33	UDAIPUR	20	754	1508000	15.080
	RAJASTHAN	**359**	**15539**	**31078000**	**310.780**

*** No. of School as per UDISE 2021-22 (Excluding Zero Enrolment School)**

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.31 16:49:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3962101

Gyan Sankalp

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाष नं. 0141–2709846 E-mail: csr.edu.raj@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप / जय / सीएसआर / प्लॉन 2023–24 / 3699 दिनांक : 1/8/23

अनुसूची–2

Ex-students & Potential Donors Meet 2023-24

DEPARTMENT WISE NO. OF SCHOOLS

S.No.	District	Dept. Of Education	Sanskrit School	Tribal Welfare Department	Social Welfare Dept.	Grand Total
1	AJMER	516	17	1	0	534
2	ALWAR	780	22	2	1	805
3	BANSWARA	452	5	4	1	462
4	BARAN	298	5	8	1	312
5	BARMER	715	12	0	1	728
6	BHARATPUR	544	15	0	1	560
7	BHILWARA	568	11	1	1	581
8	BIKANER	444	11	0	0	455
9	BUNDI	272	8	0	1	281
10	CHITTAURGARH	402	11	0	0	413
11	CHURU	506	13	0	0	519
12	DAUSA	366	20	1	2	389
13	DHAULPUR	285	6	0	0	291
14	DUNGARPUR	388	11	5	2	406
15	GANGANAGAR	488	2	0	0	490
16	HANUMANGARH	362	7	0	0	369
17	JAIPUR	925	69	1	0	995
18	JAISALMER	194	4	0	0	198
19	JALOR	388	7	1	2	398
20	JHALAWAR	322	6	1	1	330
21	JHUNJHUNU	516	24	0	0	540
22	JODHPUR	719	17	1	0	737
23	KARAULI	320	4	0	3	327
24	KOTA	316	5	2	0	323
25	NAGAUR	753	14	0	1	768
26	PALI	497	6	1	1	505
27	PRATAPGARH (RAJ.)	209	1	4	0	214
28	RAJSAMAND	305	5	0	0	310
29	SAWAI MADHOPUR	294	16	2	2	314
30	SIKAR	617	30	0	0	647
31	SIROHI	233	6	1	0	240
32	TONK	332	9	3	0	344
33	UDAIPUR	736	10	8	0	754
	RAJASTHAN	**15062**	**409**	**47**	**21**	**15539**

*** No. of School as per UDISE 2021-22 (Excluding Zero Enrolment School)**

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.07.31 16:49:52 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3962101